


Form No-III

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
 गुरविन्द सिंह आदि बनाम अजयपाल सिंह आदि
 किरम मुकदमा 53,88,188,92ए,209 आरटीएक्ट नम्बर 172 सन 2025
 जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/398

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इण्डियन्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी किए</p>
-------------------	--	---

08.2025 वादी गुरविन्द सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 47 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री रणवीर सिंह विशनोई अधिवक्ता ने वाद-पत्र प्रस्तुत किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.10.2025 को पेश हो।


 (सुमा चन्द्र)
 आर.ए.एस.
 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर

2015
11/3/25

6/10/25 वादी गुरविन्द सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 47 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री रणवीर सिंह विशनोई अधिवक्ता ने वाद-पत्र प्रस्तुत किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.10.2025 को पेश हो।

19/11/25 आप कानूनी प्रमाण एवं कानूनी प्रमाणों के बिना अधिवक्ता के निवेदन पर कि वाद पत्र के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य से अदालत की आवाज की वकीलानी का कार्यवाही करनी चाहिए एवं वाद पत्र के रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति प्रदान की।

रूपरेखा
 25/11/25
 रजि. नं. 172
 9/11/25
 Dairingam



अ. वा. प. ल. म. सि. द. वा. म.
Kendriya
म. म.

...वादी गण के कर्षण एवं अविश्वस्य के कर्षण पर विचार
करने पर वाद पर से संलग्न कस्तावे को का कर्षण के लिए
बाधा / वादी गण एवं प्रतिवादी गण का बाजीनाम है युक्त
है अतः वाद पर का भाग - बहाने का कोई औचित्य
नहीं है अतः वाद पर को किसी धरण के अनुमति
प्रकार की जाती है। पत्रावली निकालते ही कस नम्बर
में कस ही

अधिकार के आधार पर से पुनः
अधिकार के आधार पर से पुनः

